न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 124/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2018/00015**
दायर दिनांक :– 11.10.2018 **निर्णय दिनांक :– 21.05.2025**

1. सोनाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. हीरालाल पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जेठाराम पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बीरमाराम पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. ईशाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भूराराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. भोमाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. डालूराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. नेनु देवी पत्नी जोगाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. धापू देवी पत्नी बीरमाराम जाति जाट निवासी लुबासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. जस्साराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. श्रवणराम पुत्र खीयाराम जाति जाट निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
12. यूको बैंक शाखा प्रबन्धक घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 2 व 8

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत विभाजन का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 122–14 बीघा ग्राम सुभाषनगर पटवार क्षेत्र लूणा तहसील घंटियाली में स्थित है जिसको आगे के पदों में **विवादग्रस्त भूमि** के नाम से सम्बोधित किया जाएगा जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की 818/2454 हिस्सा अर्थात रकबा 40–18 बीघा भूमि बंट एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व उक्त भूमि की पूर्व खातेदार हरखू पत्नी गेनाराम से खरीद की थी तब से लेकर आज तक प्रार्थीगण उक्त भूमि पर

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

शांतिपूर्वक कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है जो प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी अनुसार स्थित है। प्रार्थीगण का नजरी नक्शा अनुसार ही अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी मकान, पशुओं का बाड़ा पानी का टांका बना कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण का अपने बंट कब्जा काश्त भूमि का बंटवाड़ा करवाकर अलग खाता व अलग तरमीम करवाने के जायज अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण दावेदार है कि अस्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे की अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के हक व हिस्सा में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का कच्च पक्का निर्माण कार्य स्वयं ही करे और न किसी अन्य से करावे और मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 8 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 7 व 9 ता 12 की और से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम सुभाष नगर पटवार हल्का लूणा के की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग का अधिकार है।

तहसीलदार
बाप (फलोदी)